अध्याय - 5

# बिहार लोक सेवा आयोग संबंधी

[1]

पत्रांक–7/पी०एस०सी०–2–7–13/2010 का०–5134

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,
बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 01. 06. 2010

विषय– विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों की मूल कोटि में फीडर कैडर से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।

प्रसंग– बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय का पत्रांक 6/प्रो०–24–08/08–57 दिनांक 13.04.2010, पत्रांक 6/प्रो०–24–17/2009–112 दिनांक 21.04.2010 तथा पत्रांक 6/प्रो०–16–02/09–148 दिनांक 28.04.2010।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम–7 (स) में वर्ष 2003 में संशोधन के अनुसार राज्य सेवाओं/संवर्गों के बेसिक ग्रेड के पदों पर 'नियुक्ति' के लिए आयोग का परामर्श अपेक्षित है। बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति भी नियुक्ति ही है। इस संबंध में ज्ञातव्य है कि कतिपय राज्य सेवाओं/संवर्गों के बेसिक ग्रेड में फीडर कैडर से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का भी प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि सेवा/संवर्ग विशेष को संबंधित विभाग के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की सेवा भी उपलब्ध हो सके। ऐसी प्रोन्नति संवर्गीय प्रोन्नति नहीं होती है, बल्कि उच्चतर संवर्ग को अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से भरा जाता है। यह फीडर कैडर का पदसोपान नहीं होता है। अतः किसी संवर्ग से उच्चतर संवर्ग में प्रोन्नति द्वारा ऐसी नियुक्ति को 'नियुक्ति' ही कहा जा सकता है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2003 में कार्यसीमन विनियमावली में किये गये संशोधन में 'प्रोन्नति' शब्द का उल्लेख नहीं कर मात्र 'नियुक्ति' शब्द का उल्लेख किया गया।

अतः उक्त विनियमावली में संशोधन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। किसी भी राज्य सेवा या संवर्ग में, जहाँ बेसिक ग्रेड में फीडर कैडर से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का कोटा है, वह नियुक्ति ही मानी जाएगी और कार्यसीमन विनियमावली के संशोधित विनियम–7(स) के अनुसार आयोग से परामर्श अपेक्षित होगा। फलस्वरूप आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर ही ऐसी नियुक्ति हो सकती है।

विश्वासभाजन

अजय कुमार सिन्हा
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 7/पी०एस०सी०–2–7–13/2010–5134 दिनांक 01.06.2010

प्रतिलिपि– सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अजय कुमार सिन्हा
सरकार के उप सचिव

[2]

पत्र संख्या–7 / पी०एस०सी० 02–2–03 / 2009 का०–9596

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार, भा०प्र०से०,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांक 24 सितम्बर, 2009

विषय :– आयोग के माननीय सदस्य, डॉ० कैलाश महतो की आयोग की सेवा अवधि के क्रम में पटना विश्वविद्यालय में पेंशन अंशदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1 / नि०–1–06 / 2006–543 लो०से०आ० दिनांक 09.06.2009 के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि पेंशन अंशदान के संबंध में अधिसूचना सं० 9653 दिनांक 03.09.2008 के द्वारा सरकार की यह राय संसूचित की गयी है कि पेंशन अंशदान तथा छुट्टी अंशदान देय होगा। इस प्रकार यह अंशदान आयोग में बितायी गयी पूर्व सेवा अवधि के लिए देय होगा, चाहे यह सेवा अवधि अधिसूचना के पूर्व हो या पश्चात्।

विश्वासभाजन,

मनीष कुमार

विशेष कार्य पदाधिकारी।

---

[3]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक 29. 07. 2009

संख्या–7 / पी०एस०सी०–7–06 / 05 का०–7399 / भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो दिनांक 01.04.2007 से प्रवृत्त समझा जायेगा:–

## संशोधन

बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम 4 में अंक तथा शब्द रु० 26,000/– (छब्बीस हजार रु०) के स्थान पर अंक तथा शब्द रु० 80,000/– (अस्सी हजार रुपये) और अंक तथा शब्द रु० 24,500/– (चौबीस हजार पाँच सौ रुपये) के स्थान पर 70,000/– रु० (सत्तर हजार रुपये) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 7/पी०एस०सी० 07–06/05 का०–7399 पटना, दिनांक 29.07.2009

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस प्रकाशन की 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा–7) को भेजने की कृपा की जाय।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 7/पी०एस०सी० 07–06/05 का०–7399 पटना, दिनांक 29.07.2009

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के विशेष सचिव

## बिहार सरकार
## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
## अधिसूचना

पटना, दिनांक 29. 07. 2009

संख्या–7/पी०एस०सी०–7–06/05 का०–7400/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 7399 दिनांक 29.07.2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उनका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

## NOTIFICATION

No.-7/PSC-7-06/05—7399. In exercise of the powers conferred by Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulation, 1960 which shall be deemed to have come into force with effect from 1.04.2007.

## AMENDMENT

In Regulation 4 of the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulation, 1960, in place of the figure and words "Rs. 26000/- (twenty six thousand)", the figure and words "Rs. 80,000/- (eighty thousand rupees)" and in place of the figure and words "Rs. 24,500/ (twenty four thousand five hundred)" the figure and words "Rs. 70,000/- (seventy thousand rupees)" shall be substituted.

By the order of the Governor,

Rajiva Lochan

Special Secretary to the Govt.

ज्ञापांक–पी०एस०सी०–7–06/05 का०–7400 पटना, दिनांक 29.07.2009

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–पी०एस०सी०–7–06/05 का०–7400 पटना, दिनांक 29.07.2009

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

राजीव लोचन

सरकार के विशेष सचिव

---

[4]

**उसी अधिसूचना संख्या–9653 दिनांक 3 सितम्बर, 2008 के लिए प्रतिस्थापित**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 3 सितम्बर, 2008

दिनांक 18.11.08

संख्या–7/पी०एस०सी०–7–06/05 का०– 9653/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्त्तें) विनियमावली, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा :–

संशोधन

बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्त्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम–4 में अंक तथा शब्द "रु० 24,500/– (चौबीस हजार पाँच सौ रुपये)" के स्थान पर अंक तथा शब्द "रु० 26,000/– (छब्बीस हजार रुपये)" और अंक तथा शब्द "रु० 22,400/– (बाइस हजार चार सौ रुपये)" के स्थान पर "रु० 24,500/– (चौबीस हजार पाँच सौ रुपये)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. विश्वविद्यालय सेवा से आये सदस्यों के मामले में विश्वविद्यालय संविधि के अनुसार बाह्य सेवा काल में उनके पेंशन एवं अवकाश अंशदान के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अंशदान विश्वविद्यालय में भेजना आवश्यक है अन्यथा पेंशन के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय में उनकी सेवा की अवधि कम मानी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजवंश मणि सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–7–06/05 का०–9653 पटना, दिनांक 03.09.08 / दिनांक 18.11.08

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट प्रकाशन की 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा–7) को भेजने की कृपा की जाय।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–7–06/05 का०–9653 पटना, दिनांक 03.09.08 / दिनांक 18.11.08

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

**उसी अधिसूचना संख्या 9654 दिनांक 03 सितम्बर, 2008 के लिए प्रतिस्थापित**

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 03 सितम्बर, 2008
दिनांक 18.11.08

संख्या–7/पी०एस०सी०–7–06/2005 का०–9654/ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०–9653 दिनांक 03.09.08 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजवंश मणि सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

Patna, the dated 03 September, 2008

No-7/PSC-7-06/2005-9653/ In exercise of the powers conferred by article 318 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1960 which shall be deemed to have come into force from the date of issue of this notification.

## AMENDMENT

1. In the regulation 4 of the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regualation, 1960, in place of the figures and words "Rs. 24,500/- (Rupees Twenty four thousand five hundred)", the figures and words "Rs. 26,000/- (Rupees Twenty Six thousand)" and in place of the figures and words" Rs. 22,400/- (Rupees Twenty two thousand four hundred)" the figures and words "Rs. 24,500/- (Rupees Twenty Four thousand Five hundred)" shall be substituted.

2. In the matter of pension and leave contribution of the members coming from University Service, for the period of foreign service, as per University Rules, it has been decided that the pension and leave contribution is necessary to be sent to the University otherwise their period of service in the University for the pension purpose shall be deemed to be reduced.

By the order of the Governor,
Rajvansh Mani Singh
Joint Secretary to the Govt.

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–7–06/05 का०–9654 पटना–15, दिनांक 03.09.08/दिनांक 18.11.08

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–7–06/05 का०–9654 पटना–15, दिनांक 03.09.08/दिनांक 18.11.08

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

# बिहार सरकार
## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
### अधिसूचना

पटना, दिनांक 25. 02. 06

संख्या–7/पी०एस०सी०–1013/95 (खण्ड–3) का०–1848/भारत–संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

### संशोधन

उक्त विनियमावली में–

1. विनियम–8 को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा–

   "यदि अध्यक्ष छुट्टी पर या अन्यथा अनुपस्थित रहें, तो अन्य सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा। साथ ही राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिए ऐसे सदस्य को प्रतिमाह विशेष वेतन का भी निर्धारण कर सकेगी।"

2. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कुमार अंशुमाली
सरकार के उप सचिव।

बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 में समय–समय पर किये गये संशोधन :–

1. अधिसूचना–संख्या–III/पी०एस०सी०–203/60 ए–10177 दिनांक–28.07.61 (विनियम–16)
2. अधिसूचना–संख्या–3/पी०एस०सी०–202/60 वि०–10967 दिनांक–16.08.61 (विनियम–21 क)
3. अधिसूचना–संख्या 13927 दिनांक–06.11.65 [विनियम 25 (1)]
4. अधिसूचना–संख्या–VII/पी०एस०सी०–1029/65 ए–486 दिनांक–15.01.66 [विनियम–3 (1)]
5. (स्वास्थ्य विभाग की) अधिसूचना संख्या–1/एम–1–9–052/66–2656(1)/एच० दिनांक 15.05.67 (विनियम 18)
6. अधिसूचना संख्या 2005 दिनांक–03.02.70 [विनियम 24 (1)]
7. अधिसूचना संख्या–A–15784 दिनांक 11.09.70 [विनियम–12 (1)]
8. अधिसूचना संख्या 14199 दिनांक–21.08.70 [विनियम 22 (ब)]
9. अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 18020 दिनांक– 16.10.71 [विनियम 24 (2)]
10. अधिसूचना संख्या 7/पी०एस०सी०–1028/69–नि०–2605 दिनांक–15.02.72 [विनियम 2 (ङ), 4, 5 क, (13)]
11. अधिसूचना संख्या–21010 का० दिनांक–22.11.72 (विनियम 22 क)
12. अधिसूचना संख्या–जी०एस०आर० 6 दिनांक–17.02.88 (विनियम 4, 6, 12)
13. अधिसूचना संख्या–जी०एस०आर० 7196 दिनांक– 08.07.92 (विनियम 4 आ)
14. अधिसूचना संख्या–3/आर 1–1048/93 का०–7425 दिनांक–25.08.95 (विनियम 17 क)

15. अधिसूचना संख्या–7/पी०एस०सी०–2010/97 का०–5116 दिनांक–14.06.2000 (विनियम 4, 12 एवं 16)

16. अधिसूचना संख्या–7/पी०एस०सी०–2010/97 का०–7293 दिनांक–15.09.2000 (विनियम 4, 12 एवं 16)

17. अधिसूचना संख्या–7/पी०एस०सी०–1013/95 (खंड–3) का०–8262 दिनांक–09.10.2002 [विनियम 3 (1)]

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–1013/95 (खण्ड–3) का०–1848 पटना, दिनांक 25.02.06

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

कुमार अंशुमाली
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–1013/95 (खण्ड–3) का०–1848 पटना, दिनांक–25.02.06

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

कुमार अंशुमाली
सरकार के उप सचिव।

---

[6]

निबंधन सं० पी० टी०–40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1925 (श०)

(सं० पटना, 340) पटना, शुक्रवार 30 जून, 2003

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

---

9 मई, 2003

संख्या–7/पी०एस०सी०–708/98–2950–भारत संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957" (समय–समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

## संशोधन

उक्त विनियमावली में,

1. विनियम 7 (स) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

"7. (स) राज्य सेवाओं/संवर्गों के विभिन्न वेतनमानों के पदों पर नियुक्तियों के मामलों में, निम्नलिखित को छोड़कर, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा :–

(i) राज्य सेवाओं/संवर्गों की मूल श्रेणी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति;

(ii) किसी भी सेवा/संवर्ग में उच्चतम वेतनमान के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति;

(iii) किसी भी सेवा/संवर्ग में किसी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति;

परन्तु यह अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के मामलों में लागू नहीं होगा।"

2. यह तुरंत प्रवृत होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नितेन चंद्र
सरकार के अपर सचिव

---



निबंधन सं० पी० टी०–40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक 1924 (श०)

(सं० पटना 476) पटना, शनिवार, 26 अक्टूबर, 2002

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

---

### अधिसूचनाएँ

9 अक्टूबर, 2002

सं० 7/पी०एस०सी० 1013/95 (खंड–3) का०–8262–भारत–संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निम्नांकित संशोधन करते हैं :–

## संशोधन

(1) उक्त विनियमावली के विनियम 3 का खंड (1) में अंक "10" अंक और शब्द "6 (छह)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(सं० 7/पी०एस०सी०–1013/95 खंड)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह० अस्पष्ट
सरकार के विशेष सचिव।

9 अक्टूबर 2002

सं० 7/पी०एस०सी०–1013/95 (खंड 3) का०–8262–अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

[7/पी०एस०सी०–1013/95 (खंड 3)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह० अस्पष्ट
सरकार के विशेष सचिव।

The 9th October 2002

No. 7/PSC-1013/95 (Part 3) Per. 8262—In exercise of the powers conferred by the Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1960 (as amended from time to time):-

AMENDMENTS

1. In sub-regulation (1) of regulation 3 of the said Regulations the figure "10" shall be substituted by the figure and word "6 (Six)".
2. It will come into force with immediate effect.

[7/PSC-1013/95 (Part-3)]
By order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible
Special Secretary to Government.

# बिहार सरकार
## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
### अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 15 सितम्बर, 2000

7/पी०एस०सी०–2010/97 का०–7293/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 7/पी०एस०सी०–2010/97 का०–5116 दिनांक 14.06.2000 में आंशिक संशोधन करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो सैद्धान्तिक रूप से दिनांक 1 ली जनवरी, 1996 के प्रभाव से तथा वास्तविक रूप से 1 अप्रील 1997 के प्रभाव से प्रवृत्त समझे जायेंगे। परन्तु यात्रा भत्ता इत्यादि की सुविधा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त समझी जायेगी।

### संशोधन

1. बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम 4 में अंक तथा शब्द "7600/– (सात हजार छः सौ) रु०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "24,500/– (चौबीस हजार पाँच सौ) रु०" और अंक तथा शब्द "6700/– (छः हजार सात सौ) रु०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "22,400/– (बाईस हजार चार सौ) रु०" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. विनियम 12 के उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा –

   (i) जो सदस्य, नियुक्ति की तिथि को संघ या किसी राज्य सरकार की सेवा में नहीं थे, वह निम्नलिखित पेंशन का हकदार होंगे:–

   (ii) अध्यक्ष की दशा में यदि उन्होंने 6 वर्षों की पेंशन प्रदायी सेवा पूरी कर ली हो और 24,500/– रु० प्रतिमाह की दर से वेतन पाया हो, तो प्रति वर्ष 48,000/– रु० पेंशन मिलेगा।

   (iii) अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की दशा में, यदि उन्होंने 6 वर्षों की पेंशन प्रदायी सेवा पूरी कर ली हो और 22,400/–रु० प्रतिमाह की दर से वेतन पाया हो, तो प्रति वर्ष 45,000/– रु० पेंशन मिलेगा।"

3. विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   "अध्यक्ष एवं सदस्य क्रमशः वैसे यात्रा–भत्ता के हकदार होंगे जो भारत सरकार में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को अनुमान्य हो;

   परन्तु यदि कोई सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में नहीं हों तो वह अपने पदग्रहण के निमित्त की गयी यात्रा के लिए उतना यात्रा भत्ता पाने का हकदार होंगे, जो स्थानान्तरण होने पर यात्रा के लिए अनुमान्य हो।"

[संचिका संख्या 7/पी०एस०सी०–2010/97]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

कुंज बिहारी दास

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–2010/97 का०–7293 पटना, दिनांक 15 सितम्बर, 2000

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस प्रकाशन की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा–7) को भेजने की कृपा करें।

कुंज बिहारी दास
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–2010/97 का०–7293 पटना, दिनांक 15 सितम्बर, 2000

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

कुंज बिहारी दास
सरकार के उप सचिव।

---

[9]

## बिहार सरकार
## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

### अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 14 जून, 2000 ई०

संख्या–7/पी०एस०सी० 2010/97 का०–5116/भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो 1ली अप्रैल, 97 से प्रवृत समझा जायेगा किन्तु यात्रा–भत्ता इत्यादि की सुविधाएँ प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त समझी जायेगी।

### संशोधन

1. बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम 4 में अंक तथा शब्द "7600 (सात हजार छः सौ) रु०" के स्थान पर अंक तथा शब्द" "24,500 (चौबीस हजार पाँच सौ) रुपये" और अंक तथा शब्द "6700/– (छः हजार सात सौ) रु०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "22,400/– (बाईस हजार चार सौ) रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. विनियम 12 के उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

(i) जो सदस्य नियुक्ति की तिथि को संघ या किसी राज्य सरकार की सेवा में नहीं थे, वह निम्नलिखित पेंशन का हकदार होंगे :–

(ii) अध्यक्ष की दशा में यदि उन्होंने 6 वर्षों की पेंशन प्रदायी सेवा पूरी कर ली हो और 24,500/– रु० प्रतिमाह की दर से वेतन पाया हो, तो प्रति वर्ष 48,000/– रु० पेंशन मिलेगा।

(iii) अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की दशा में, यदि उन्होने 6 वर्षों की पेंशन प्रदायी सेवा पूरी कर ली हो और 22,400/– रु० प्रतिमाह की दर से वेतन पाया हो, तो प्रतिवर्ष 45,000/– रु० पेंशन मिलेगा।

3. विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"अध्यक्ष एवं सदस्य, क्रमशः वैसे यात्रा–भत्ता के हकदार होंगे जो भारत सरकार में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को अनुमान्य हो;

परन्तु यदि कोई सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में नहीं हो तो वह अपने पदग्रहण के निमित्त की गयी यात्रा के लिए उतना यात्रा–भत्ता पाने का हकदार होंगे, जो स्थानान्तरण होने पर यात्रा के लिए अनुमान्य हो।"

[7/पी०एस०सी०–2010/97 का०]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

कुंज बिहारी दास

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–2010/97 का०–5116 पटना–15, दिनांक 14 जून, 2000 ई०

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस प्रकाशन की 500 प्रतियाँ, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा–7) को भेजने की कृपा करें।

कुंज बिहारी दास

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–7/पी०एस०सी०–2010/97 का०–5116 पटना–15, दिनांक 14 जून, 2000 ई०

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

कुंज बिहारी दास

सरकार के उप सचिव।

---

[10]

## बिहार सरकार

## कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

### अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 25 अगस्त, 1995

जी०एस०आर०–भारत–संविधान के अनुच्छेद–318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

### संशोधन

विनियम–17 के बाद निम्नलिखित नया विनियम अन्तःस्थापित किया जायेगा यथा–

"17 क–बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय नगर क्षतिपूर्ति भत्ते के हकदार होंगे।"

2. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रवृत हुआ समझा जायेगा ।

[3/आर 1–1048/93 का०–7425]
बिहार राज्यपाल के आदेश से
बी० के० श्रीवास्तव
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं० 3/आर 1–1048/93 का०–7425 पटना–15, दिनांक 25 अगस्त, 1995

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस प्रकाशन की 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा–3) में भेजने की कृपा करें।

बी० के० श्रीवास्तव
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप सं० 3/आर 1–1048/93 का०–7425 पटना–15, दिनांक 25 अगस्त, 1995

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

बी० के० श्रीवास्तव
सरकार के अपर सचिव।

जी०एस०आर०–अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उसका अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[3/आर 1–1048/93–7425]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
बी० के० श्रीवास्तव
सरकार के अपर सचिव।

## GOVERNMENT OF BIHAR,
## DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS
## NOTIFICATION

Patna–15, Dated 25 August, 1995

G.S.R.- In excercise of powers conferred by article 318 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulation, 1960.

AMENDMENT

After regulation 17, the following new regulation shall be inserted, namely:–

"17-A. The Chairman and Member of Bihar Service Commission shall be intitled to city compensatory allowance as admissible to State Government employees".

2. This will be effective from the date of issue of order.

(3/R 1–1048/93-7425)
By order of the Governor of Bihar
B.K. Srivastava
Additional Secretary to Govt.

[11]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

जी०एस०आर० 7196 दिनांक 08. 07. 1992

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :—

संशोधन

उक्त विनियमावली में :

धारा—4 अ के बाद निम्नलिखित धारा स्थापित की जायेगी, यथा :

"4—आ. यदि अध्यक्ष या सदस्य राज्य सरकार के किसी उपक्रम, निगम अथवा कानूनी प्राधिकार में किसी रूप में नियोजित है, तो वह पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे उपक्रम, निगम अथवा प्राधिकार में नियोजित है।"

2. यह तत्कालीन प्रभाव से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव।

---

[12]

निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1909 (श०)

(संख्या पटना 92) पटना, बुधवार, 17 फरवरी 1988

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

---

अधिसूचनाएँ

17 फरवरी 1988

जी०एस०आर० 6—भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल

बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियमावली, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो 1ली जनवरी, 1986 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, यथाः–

संशोधन

1. बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम 4 में अंक तथा शब्द "3,000 (तीन हजार) रु०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "7,600 (सात हजार छः सौ) रु०" तथा अंक तथा शब्द "2,750 (दो हजार सात सौ पचास) रु०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "6,700 (छः हजार सात सौ) रु०" प्रतिस्थातिप किये जायेंगे।

2. विनियम 6 के उप–विनियम (1) में "जो सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या भारत के किसी राज्य की सेवा में न हो, उसे निम्न प्रकार की छुट्टी दी जा सकेगी" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

"(i) प्रत्येक सदस्य को निम्न प्रकार की छुट्टी दी जा सकेगी।

(ii) विनियम 6 के उप–विनियम (4) को विलोपित किया जायेगा।"

3. विनियम 12 के उप–विनियम (1) के स्थान में निम्नलिखित प्रतिस्थपित किया जायेगा, यथा :–

"(i) जो सदस्य नियुक्ति की तिथि को संघ या किसी राज्य सरकार की सेवा में नहीं था, वह निम्नलिखित पेंशन का हकदार होगा :–

(ii) अध्यक्ष की दशा में यदि उसने 6 वर्षों की पेंशनी सेवा पूरी कर ली हो और 7,600 रु० प्रतिमाह की दर से वेतन पाया हो, तो प्रति वर्ष 15,000 रु० पेंशन मिलेगा,

(iii) अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की दशा में यदि उसने 6 वर्षों की पेंशनी सेवा पूरी कर ली हो और 6,700 रु० प्रतिमाह की दर से वेतन पाया हो, तो प्रति वर्ष 13,500 रु० पेंशन मिलेगा :

परन्तु यह कि सदस्य नियुक्ति के समय सेवा पेंशन (अक्षमता या शारीरिक क्षति पेंशन से भिन्न) पाता हो, तब इन विनियमों के अधीन देय पेंशन उक्त सेवा पेंशन के अतिरिक्त नहीं, अपितु उसके एवज में भुगतेय होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे सदस्य का आयोग में कार्यावधि की पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ के प्रयोजनार्थ; उस सेवा में लागू नियमों के अधीन गणना की जा सकेगी, जिस सेवा में आयोग का सदस्य होने के पूर्व वह कार्यरत रहा था।"

[3/आर 1–101/88]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

एन० के० अग्रवाल,

सरकार के सचिव।

निबंधन सं० पी० टी०–40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1907 (श०)

(संख्या पटना 543) पटना, बुधवार, 18 सितम्बर 1985

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

---

अधिसूचनाएँ

18 सितम्बर 1985

जी० एस० आर० 35–भारत संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, नियुक्ति विभागीय (अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) अधिसूचना संख्या 11224, दिनांक 12 अगस्त, 1960 द्वारा प्रकाशित, बिहार लोक–सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

उक्त विनियम के नियम 6 के उप–नियम (3) तथा इसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:–

"(3) सदस्य जिस तिथि को अपना पद छोड़ेगा उस तिथि को उसके नाम जमा छुट्टी का समायोजन निम्न रूप में किया जायेगा :–

(i) जो सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि को भारत सरकार या भारत के किसी राज्य की सेवा में न था, उसे पद छोड़ने की तिथि को जमा छुट्टी की अवधि या 180 दिन जो भी कम हो, का अवकाश वेतन देय होगा;

(ii) जो सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि को भारत सरकार या भारत के किसी राज्य की सेवा में था, उसे पद छोड़ने की तिथि को जमा छुट्टी की अवधि या 180 दिन जो भी कम हो, का अवकाश वेतन देय होगा बशर्ते कि सरकारी सेवा से निवृत्ति के फलस्वरूप ऐसी सुविधा का उपभोग उसने न किया हो।"

2. यह जनवरी, 1985 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

(3/आर 1–107/85)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरयू प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।

18 सितम्बर, 1985

जी०एस०आर० 36–जी०एस०आर० 35, दिनांक 18 सितम्बर, 1985 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(3/आर० 1–107/85)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरयू प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

***The 18th September 1985***

G. S.R. 35.—In exercise of the powers conferred by Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1960 published under the Appointment Department (now the Department of Personnel and Administrative Reforms) notification no. 11221, dated the August 12, 1960.

AMENDMENT.

In the said Regulation for sub-rule (3) of rule no. 6, the following shall be *substituted,* namely :—

"(3) Leave accummulated in the name of a member on the date he retires will be adjusted as follows :—

(i) Leave salary for the period of leave accumulated on the date of retirement or for 180 days, whichever is less, will be admissible to the member who was not on the date of his appointment in the service of Government of India or in the service of any State of India.

(ii) Leave salary for the period of leave accummulated on the date of retirement or for 180 days, whichever is less, will be admissible to the member who was on the date of his appointment, in the service of Government of India or in the service of any State of India subject to the condition that he has not availed such facility as a result of retirement from Government Service.

2. This will be deemed to have come in force since January, 1985.

[3/RI-107/85]

By order of the Governor of Bihar,

SARYU PRASAD

*Joint Secretary to Government*

[14]

# THE
# BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION
# (CONDITIONS OF SERVICE)
# REGULATIONS, 1960

**[Corrected up to the 18th April 1972]**

# बिहार लोक–सेवा आयोग

(सेवा की शर्त्तें) विनियम, 1960

[18 अप्रील 1972 तक संशोधित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1981

GOVERNMENT OF BIHAR

APPOINTMENT DEPARTMENT

---

NOTIFICATION.

*The 12th August, 1960/21st Shrawan, 1882.*

No. III/PSC-201/60-A—11224—In exercise of the powers conferred by article 318 of the Constitution of India and in supersession of the Regulation published with the Appointment Department's notification no. A-2654, dated the 31st March, 1953, the Governor of Bihar is pleased to make the following Regulations determining the number of members for the Public Service Commission, Bihar, and their conditions of service and making provision with respect to the staff of the Commissions and their condition of service.

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

---

अधिसूचना

12 अगस्त, 1960/21 श्रावण, 1882

सं० III–लो०से०आ०–201/60 नि०–11224–भारत–संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और नियुक्ति विभाग की अधिसूचना सं० नि०–2654 तारीख 31 मार्च, 1953 के साथ प्रकाशित विनियमावली का अवक्रमण करते हुए, बिहार–राज्यपाल निम्न विनियमावली बनाते हैं जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा–शर्त्तें निर्धारित की गयी हैं तथा आयोग के कर्मचारीवृन्द और उनकी सेवा–शर्त्तों के बारे में उपबन्ध किया गया है।

**PART I**

PRELIMINARY.

1. These Regulations may be called the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1960.

**भाग 1**

प्रारम्भिक।

1. यह विनियमावली बिहार लोक–सेवा आयोग (सेवा शर्त्तें) विनियमावली [(बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (कंडीशन्स औफ सर्विस) रेगुलेशन्स)] ,1960 कहलायेगी।

2. In these Regulations, unless there is anything repugnant, in the subject or context—

   (a) "The Commission" means the Public Service Commission for Bihar;

   (b) "Compensatory Allowance" means an allowance granted in consideration of personal expenditure or loss of amenities or private practice, necessitated by the special circumstances in which duty is performed. It includes a travelling allowance but does not include a sumptuary allowance or the grant of a free passage by sea to or from any place outside India;

   (c) "Governor" means the Governor of Bihar;

(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman;

(e) "Service Member" means a person who, before his appointment as Member, was in the service of the Government of India or of a State in India (irrespective of whether he joins as Member before or after his retirement from such service);*

(f) "Parent Service means, in relation to a Service Member, the service under the Government in which he was employed before his appointment as such Member; and

(g) "Service Pension" means, the pension granted to a Service Member, under the rules of the Parent Service and signifies the gross amount of such pension prior to commutation, and includes the pension equivalent of service gratuity.

2. जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस विनियमावली में–

(क) "आयोग" से तात्पर्य है बिहार का लोक–सेवा आयोग;

(ख) "क्षतिपूरक भत्ता" से तात्पर्य है वह भत्ता जो विशेष परिस्थितियों में कर्तव्य–सम्पादन से होने वाले व्यक्तिगत खर्च या सुख–सुविधा अथवा निजी व्यवसाय की हानि के प्रतिफल स्वरूप दिया जाय। इसमें यात्रा–भत्ता भी शामिल है, किन्तु आतिथ्य भत्ता (सम्प्चुअरी एलावेन्स) अथवा भारत के बाहर किसी स्थान से किसी स्थान तक समुद्र द्वारा मुफ्त जाने–आने का खर्च शामिल नहीं है;

(ग) "राज्यपाल" से तात्पर्य है बिहार–राज्यपाल;

(घ) "सदस्य" से तात्पर्य है आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं;

(ड़) "शासनिक–सदस्य" (सर्विस मेम्बर)" से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पहले भारत–सरकार या भारत के किसी राज्य की सेवा में था, (भले ही वह ऐसी सेवा से निवृत्त होने के पहले या बाद में सदस्य के रूप में पदग्रहण करे);*

(च) "मूल सेवा (पैरेन्ट सर्विस)" से, किसी शासनिक–सदस्य के संबंध में, तात्पर्य है सरकार के अधीन ऐसी सेवा जिसमें वह, ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त होने के पहले, नियोजित था; और

(छ) "मूल सेवा–पेंशन" से तात्पर्य है वह पेंशन जो मूल–सेवा नियमों के अधीन किसी शासनिक–सदस्य को दी गई हो। यह रूपान्तरण के पूर्व ऐसी पेंशन की सकल राशि है और इसमें सेवा–उपदान के बराबर पेंशन भी शामिल है।

## PART II

### COMPOSITION OF THE COMMISSION AND PAY OF MEMBERS.

3. (i) The Commission shall consist of a Chairman and 10* other members :
Provided that in the case of absence of one or more Members on leave or otherwise, the remaining Members or Member, as the case may be, shall constitute the Commission.

(ii) The Governor may appoint an additional Member when Member proceeds on leave preparatory to demitting office.

## भाग 2

### आयोग का गठन और सदस्यों का वेतन ।

3. (1) आयोग में एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य होंगे :

---

(*) Omitted vide notification no. VII/P.S.C. 1028/69 A.—2605, dated the 15th February, 1972.

*अधिसूचना संख्या–7/पी०एस०सी०–1028/69–नि०–2605, दिनांक 15 फरवरी, 1972 के द्वारा संशोधित ।

*Amended vide Notification no. VII/P.S.C.-1029/65A—486, dated the 15th January, 1966.

परन्तु एक या अनेक सदस्यों के छुट्टी पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में, यथास्थिति, शेष सदस्य या सदस्यों से आयोग गठित होगा।

(2) राज्यपाल, किसी सदस्य के पद–त्याग–पूर्व छुट्टी पर जाने की दशा में एक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त कर सकेंगे।

**"4. The Chairman may receive a pay of Rs. 3,000 a month and each of the other Members may receive a pay of Rs. 2,750 a month :

Provided that if at the time of appointment as Chairman or Member, the Chairman or the Member was in receipt of or had become entiled to receive retirement benefits by way of pension, gratuity, contributory Provident Fund or otherwise, the pay specified in the regulation shall be reduced by the gross amount of pension (including any portion of the pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other forms of retirement benefits, if any.

4A. A Chairman or Member who, on the date of the appointment to the Commission, was in the service of the Central or State Government shall be deemed to have retired from such serivce with effect from the date of his appointments as Chairman or Member of the Commission".

**"4. अध्यक्ष 3,000 रु० और अन्य प्रत्येक सदस्य 2,750 रु० मासिक वेतन प्राप्त कर सकेंगे :

परन्तु यदि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय अध्यक्ष या सदस्य पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि के तौर पर या अन्यथा सेवा–निवृत्ति संबंधी फायदे प्राप्त कर रहा हो, या पाने का हकदार हो, तो विनियम में विनिर्दिष्ट वेतन से पेंशन [जिसमें पेंशन का वह अंश भी शामिल है, जो संराशीकृत (कम्यूटेड) हो] और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य प्रकार के फायदों के समतुल्य पेंशन की सकल राशि घटा दी जायेगी।

4.(क) अध्यक्ष या सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से उस सेवा से निवृत्त समझा जायेगा।"

## PART III

## CONDITIONS OF SERVICE OF MEMBERS.

*Section I (Leave).*

*"5A. A Government servant appointed as a member/Chairman of the Commission may be permitted to carry forward all the leave earned by him in the Government service to be availed of by him during the period of his office in the Commission. Subject to this the calculation of leave admissible to such Members will be done in accordance with regulation 6".

## भाग 3

## सदस्यों की सेवा की शर्तें

### प्रकरण 1 (छुट्टी)

*"5(क) आयोग के सदस्य/अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सरकारी सेवक को आयोग में अपने पद की अवधि के

**Substituted by notification no. VII/P.S. 1038/69 A–2605, dated the 15th February 1972.

**अधिसूचना संख्या 7/पी०एस०सी०–1038/69 नि०–2605, दिनांक 15 फरवरी, 1972 के द्वारा संशोधित।

*Substituted vide notification No.VII/P.S.C.-1038/69 A-2605, dated the 15th February, 1972.

*अधिसूचना संख्या 7/पी०एस०सी० 1038/69–नि०–2605, दिनांक 15 फरवरी, 1972 के द्वारा संशोधित।

दौरान उपभोग करने के लिए सरकारी सेवा में अर्जित अपनी सभी छुट्टियाँ अग्रनीत करने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अध्यधीन, ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय छुट्टी की संगणना विनियम 6 के अनुसार की जायेगी।"

6.(1) A Member, who at the date of his appointment, was not in the service of the Government of India or of a State in India, may be granted leave as follows :—

(a) Leave on leave salary equivalent to average pay up to 1/11th of the period spent on duty as a Member, subject to a maximum of four months at any one time;

(b) Leave on medical certificate on leave salary equivalent to half the pay admissible on earned leave, subject to a maximum of three months at any one time ;

(c) Extraordinary leave without allowance, subject to a maximum of three months at any one time.

*Explanation*—All or any two of these kinds of leave may be granted in a combination at one time.

(2) A Member may, in addition to any leave salary he may he entitled to under clause (1), draw the service pension under the proviso to Regulation 4.

(3) Leave at the credit of a Member shall lapse on the date on which he vacates office :

Provided that if, in the exigencies of the public service, a Member is refused leave preparatory to retirement, he may for the hardship caused by such refusal, be granted compenssation for leave so refused subject to the condition that such compensation shall be granted in respect of not more than four months of leave refused and the amount of such compensation shall be determined in the manner hereinafter set out and paid to the Member in equal monthly instalments, not exceeding four.

(4) For the purpose of determining the amount of a compensation payable to a Member under clause (3), the total amount of—

(i) the leave salary that the Member would have drawn if the leave had not been refused; and

(ii) the pension (including the pension equivalent of gratuity) to which the Member is entitled from the date of vacation of office for a period equivalent to the period of leave refused;

shall be calculated separately and the total amount of pension referred to in item (ii) shall then be deducted from the total amount of leave salary referred to in item (i) and the balance shall be the amount of compensation payable to the Member under clause (3).

6. (1) जो सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या भारत के किसी राज्य की सेवा में न हो, उसे निम्न प्रकार की छुट्टी दी जा सकेगी—

(क) सदस्य के रूप में कर्त्तव्य पर बिताए गये काल के 1/11 वें भाग तक औसत वेतन के बराबर छुट्टी, वेतन पर छुट्टी, जो एक बार में अधिक–से–अधिक चार महीने की होगी;

(ख) उपार्जित छुट्टी के अनुमान्य वेतन के आधे के बराबर छुट्टी–वेतन पर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के

आधार पर छुट्टी, जो एक बार में अधिक–से–अधिक तीन महीने की होगी;

(ग) भत्ता रहित असाधारण छुट्टी, जो एक बार में अधिक–से–अधिक तीन महीने की होगी।

स्पष्टीकरण–उपर्युक्त सभी या कोई दो तरह की छुट्टियाँ एक साथ एक बार में दी जा सकेंगी।

(2) सदस्य, खंड (1) के अधीन जिस छुट्टी–वेतन का हकदार हो, उसके अतिरिक्त विनियम 4 के परन्तुक के अधीन सेवा–पेंशन पा सकेगा।

(3) सदस्य जिस तारीख को अपना पद छोड़ेगा उसी तारीख को उसके नाम जमा छुट्टी व्ययगत हो जायेगी;

परन्तु, यदि लोक–सेवा की आवश्यकताओं के चलते किसी सदस्य की निवृत्ति पूर्व छुट्टी अस्वीकृत कर दी जाय तो, ऐसी अस्वीकृति से हुए क्लेश के कारण उसे इस प्रकार अस्वीकृत छुट्टी के लिए, क्षतिपूर्त्ति दी जा सकेगी किन्तु शर्त्त यह है कि ऐसी क्षतिपूर्ति अधिक–से–अधिक चार महीने की अस्वीकृत छुट्टी के संबंध में ही दी जायेगी और क्षतिपूर्त्ति की रकम इसमें आगे दी गई रीति से निर्धारित की जायेगी तथा सदस्य को अधिक–से–अधिक चार बराबर मासिक किस्तों में, चुकायी जायेगी।

(4) खंड (3) के अधीन किसी सदस्य को देय क्षतिपूर्त्ति की रकम निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई कुल रकम की गणना अलग–अलग की जायेगी—

(i) छुट्टी–वेतन, जो छुट्टी अस्वीकृत न होने पर सदस्य को मिलता; और

(ii) उपदान के बराबर (पेंशन सहित) पेंशन जिसका वह सदस्य पद छोड़ने की तारीख से अस्वीकृत छुट्टी की अवधि के बराबर अवधि के लिए हकदार होता।

और, इसके बाद मद (ii) में निर्दिष्ट पेंशन की कुल रकम मद (i) निर्दिष्ट छुट्टी–वेतन की कुल रकम में से घटा ली जायेगी और तब जो शेष बचेगा वह खंड (3) के अधीन सदस्य को देय क्षतिपूर्त्ति की रकम होगा।

7. The power to grant or refuse leave to a Member or to revoke or curtail leave granted to a Member shall in all cases be exercised by the Governor.

7. किसी सदस्य की छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा किसी सदस्य को दी गई छुट्टी रद्द या कम करने की शक्ति का प्रयोग सभी दशाओं में राज्यपाल करेंगे।

8. When the Chairman is absent on leave or otherwise, the senior-most Member may held current charge of the administrative duties of the Chairman and be allowed a special pay of Rs. 200 per month during such period.

8. यदि अध्यक्ष छुट्टी पर या अन्यथा अनुपस्थित रहे, तो वरिष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष के प्रशासनिक कर्त्तव्यों का वर्त्तमान प्रभार धारण कर सकेगा, और ऐसी अवधि में उसे 200 रु॰ प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जा सकेगा ।

*Section 2 (Pension)*

9. In this section, unless the context otherwise requires—

(1) "actual service" includes—

(i) time spent on duty as a Member of the Bihar Public Service Commission;

(ii) time spent on duty by a Member referred to in sub-clause (i) in the performance of such other functions as he may, at the request of the Governor, undertake to discharge, and

(iii) joining time on transfer to the office of Member from a post or an office under the Union or a State.

(2) "Service for pension" includes—

(i) actual service,

(ii) one month or the amount actually taken, whichever is less, of each period of leave on full allowances;

(iii) joining time on return from leave outside India; and

(iv) any period not exceeding three months which, under the orders of the Governor, may, for special reasons, be added to the service for pensions of a Member;

(3) "pay" including, where the pay drawn by a Member during his tenure of office was varied on account of any change in the rate of pay, deputation, leave, promotion from the office of Member to the office of Chairman or any other reason, the average monthly salary for the full term for which the Member has held office.

*Explanation.*—The expression "Full term" in this clause means any period not exceeding six years preceding the date on watch the Member has vacated office.

प्रकरण 2 (पेंशन)

9. जहाँ तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, इस प्रकरण में—

(1) "वास्तविक सेवा" के अन्तर्गत है—

(i) बिहार लोक–सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कर्तव्य पर बिताया गया समय;

(ii) उप–खंड (i) में निर्दिष्ट सदस्य द्वारा ऐसे अन्य कार्य के संपादन में कर्त्तव्य पर बिताया गया समय जिसके निर्वहन का भार वह राज्यपाल के अनुरोध पर ले; और

(iii) संघ या किसी राज्य के अधीन किसी पद से सदस्य पद पर बदली होने पर पदग्रहण काल ।

(2) पेंशनी सेवा के अन्तर्गत है—

(i) वास्तविक सेवा;

(ii) पूरे भत्ते पर ली गई छुट्टी की हर अवधि का एक महीना या वस्तुतः ली गई छुट्टी, जो भी कम हो;

(iii) भारत के बाहर की छुट्टी से लौटने पर पदग्रहण–काल; और

(iv) अधिक–से–अधिक तीन महीने तक की ऐसी कोई अवधि जो राज्यपाल के आदेश से, विशेष कारणवश, सदस्य की पेंशनी सेवा में जोड़ी जाय;

(3) जहाँ वेतन–दर में परिवर्त्तन, प्रतिनियुक्ति, छुट्टी, सदस्य के पद से अध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति होने के कारण या किसी अन्य कारणवश किसी सदस्य की पदावधि में उनके द्वारा लिए गए वेतन में हेरफेर किया गया हो, वहाँ "वेतन" में उस पूरी अवधि का औसत मासिक वेतन शामिल है, जिसमें सदस्य ने पद धारण किया हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड में "पूरी अवधि" से तात्पर्य है वह अवधि जो सदस्य के पद छोड़ने की तारीख से पूर्व छः वर्षों से अधिक न हो।

10. Subject to the provisions of these regulations a pension shall be payable to a Member on ceasing to hold ofice, only if he has completed not less than three years' service for pension. No pension shall be payable to a Member on his removal from office but in case a Member, who has completed three years'

service or more for pension, resigns from his office, and such resignation is accepted by the Governor, the pension admissible under these regulations shall be payable.

10. इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए पद छोड़ने पर किसी सदस्य को पेंशन तभी दी जा सकेगी, जब उसने कम–से–कम तीन वर्षों की पेंशनी सेवा पूरी कर ली हो। पद से हटाए जाने पर किसी भी सदस्य को पेंशन नहीं दी जा सकेगी किन्तु यदि कोई सदस्य, जिसने पेंशन के लिये तीन वर्ष या इससे अधिक पेंशनी सेवा पूरी कर ली हो, पदत्याग कर दे और राज्यपाल उसका त्याग–पत्र स्वीकार कर लें, तो उसे इस विनियमावली के अधीन अनुमान्य पेंशन दी जा सकेगी।

11. Pension under these regulations shall be payable to a Member, for life, subject to the condition that the pension shall be held in abeyance for any period during which he may subsequently be appointed to hold the office of a Member of the Union Public Service Commission or of a Member of Public Serivce Commission of another State :

Provided that the provisions of this regulation shall not apply to a Member who is, or becomes, qualified to receive a service pension, irrespective of whether he actually draws the service pension or the higher pension admissible under the proviso to Regulation 13.

11. इस विनियमावली के अधीन सदस्य को आजीवन पेंशन दी जा सकेगी किन्तु शर्त्त यह होगी कि आगे वह जिस अवधि में संघ लोक–सेवा आयोग या किसी दूसरे राज्य के लोक–सेवा आयोग के सदस्य का पद धारण करने के लिये नियुक्त होगा उस अवधि की पेंशन रोक रखी जाएगी :

परन्तु इस विनियम का उपबंध उस सदस्य पर लागू न होगा जो मूल सेवा–पेंशन पाने के योग्य हो या उसके लिये योग्यता प्राप्त कर ले, भले ही वह विनियम 13 के परन्तुक के अधीन अनुमान्य मूल सेवा–पेंशन या उच्चतर पेंशन क्यों न पाता हो।

12. (1) In the case of a Member who on the date of appointment was not in the service of the Union or a State, the pension to which such Member will be entitled shall—

(i) in the case of a Chairman, if he has completed six years' service for pension and has drawn pay at the rate of Rs. 2,500 a month, be Rs. 5,075 per annum; and

(ii) in the case of a Member, other than the Chairman, if he has completed six years' service for pension and has drawn pay at the rate of Rs. 2,250* a month, be Rs. 4,500* per annum.

(2) If a Member has completed three year four years', or five years' service for pension, be three-sixths, four-sixths or five-sixths, respectively, of the full pension which would be payable to him, as the case may be, in accordance with clause (1).

(3) Where the pay determined under clause (3) of regulation 9 in respect of a period of six years of service for pension of a Member is less than the pay specified in relation to such period in sub-clause (i) or (ii) of clause (1), the amount of pension admissible per annum shall be the amount arrived at by multiplying the average monthly pay determined under clause (3) of regulation 9 with the amount of pension to which the Member would be entitled if his full, and not average, monthly pay had been taken into account, and the product then being divided by the full pay mentioned in sub-clause (i) or (ii) of clause (1), as the case may be.

(4) In case specified in clause (2) if the average monthy pay determined under clause (3) of regulation 9

*Amended vide Appointment Department notification no. A-15784, dated the 11th September, 1970.

is less than the full pay to be taken into account for purposes of the clause, the pension admissible shall be the relative proportion in each case, specified in the said clause, of the amount of pension arrived at in accordance with clause (3).

12. (1) जो सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख को संघ या किसी राज्य की सेवा में नहीं था, वह निम्नलिखित पेंशन का हकदार होगा—

(i) अध्यक्ष की दशा में, यदि उसने छः वर्षों की पेंशनी–सेवा पूरी कर ली हो और 2,500 रु० प्रतिमास की दर से वेतन पाया हो, तो प्रतिवर्ष 5,075 रु० पेंशन मिलेगी; और

(ii) अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की दशा में यदि उसने छः वर्षों की पेंशनी–सेवा पूरी कर ली हो और *2,250 रु० प्रतिमास की दर से वेतन पाया हो तो प्रतिवर्ष *4,500 रु० पेंशन मिलेगी।

(2) यदि किसी सदस्य ने तीन वर्ष, चार वर्ष या पाँच वर्ष की पेंशनी–सेवा पूरी कर ली हो, तो खंड (1) के अनुसार, यथास्थिति उसे देय पूरी पेंशन का क्रमशः 3/6, 4/6, या 5/6 हिस्सा मिलेगा।

(3) यदि किसी सदस्य की छः वर्षों की पेंशनी–सेवा के बारे में विनियम 9 के खंड (3) के अधीन निर्धारित वेतन, उक्त अवधि के बारे में खंड (1) के उप–खंड (i) या (ii) में निर्दिष्ट वेतन से कम हो, प्रतिवर्ष अनुमान्य पेंशन की रकम वह रकम होगी जो विनियम 9 के खंड (3) के अधीन निर्धारित औसत मासिक वेतन को उस पेंशन की रकम से गुणा करने पर निकले जिसका हकदार वह सदस्य होता यदि उसका पूरा, न कि औसत मासिक वेतन गिना गया होता और तब गुणनफल को यथास्थिति, खंड (1) के उप–खंड (i) या (ii) में उल्लिखित पूरे वेतन से भाग देने पर निकलता ।

(4) खंड (2) में उल्लिखित मामलों में यदि विनियम 9 के खंड (3) के अधीन निर्धारित औसत मासिक वेतन, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ गिने जाने वाले पूरे वेतन से कम हो, तो हर हालत में उक्त खंड में उल्लिखित अनुमान्य पेंशन खंड (3) के अनुसार निकाली गयी पेंशन की रकम के सापेक्ष अनुपात में होगी।

*13. (1) A Member who at the time of his appointment as such, was in the service of the Central or a State Government shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment be entitled to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Member :

Provided that, in such an event, his pay as Member shall the reduced by an amount equivalent to the gross pension (including any portion of the pension which may have been commuted) and the pension equivalent to other retirement benefits and he shall be entitled to draw pension and other retirement benefits separately.

(2) A Member, who at the time of his appointment as such, was in the service of Central or a State Government and does not exercise the option mentioned in sub-regulation (i), shall count his service as Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment."

* 13.(1) जो सदस्य, सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, वह अपनी

*नियुक्ति विभाग के अधिसूचना संख्या नि०–15784, दिनांक 11 सितम्बर 1978 के द्वारा संशोधित।

*Amended vide notification no. VII/P.S.C. 1038/69A—2605, dated the 15th February, 1972.

*अधिसूचना संख्या 7/पी०एस०सी० 1038/69–नि०–2605, दिनांक 15 फरवरी 1972 के द्वारा संशोधित ।

नियुक्ति की तारीख से छः महीनों के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य फायदों की, सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से निकासी करने का हकदार होगा :

परन्तु, ऐसी दशा में सदस्य के रूप में उसके वेतन से ऐसी रकम घटा दी जायेगी जो सकल पेंशन की समतुल्य [जिसमें पेंशन का वह अंश भी शामिल है जो संराशीकृत (कम्युटेड) है] और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य फायदों के समतुल्य हो तथा वह अपनी पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य फायदे अलग–अलग लेने का हकदार होगा।

(2) जो सदस्य, सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो और उप–विनियम (1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग नहीं करे, वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पहले जिस सेवा में था उस पर लागू नियमों के अधीन, पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों के लिये सदस्य के रूप में अपनी सेवा की संगणना करेगा।

14. The pension payable under regulation 12 shall not be commuted but the pension under regulation 13 may be commuted.

14. विनियम 12 के अधीन देय पेंशन रूपान्तरित न की जाएगी, किन्तु विनियम 13 के अधीन मिलनेवाली पेंशन रूपान्तरित की जा सकेगी।

15. The authority competent to grant a pension to member shall be the Governor.

15. किसी सदस्य को पेंशन मंजूर करने के सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल होंगे ।

*Section 3 (Travelling Allowance)*

16. The travelling allowance of a member will be regulated by the rules in force applicable to Government servants of the first grade :

Provided that—

(i) the Chairman shall be entitled to draw halting allowanes at the rate of Rs. 12.50 np.* and a Member other than the Chairman shall be entitled to draw halting allowance at the rate of Rs. 10*;

(ii) if he was not at the date of his appointment in the service of the Government of India or of a State, a Member shall be entitled to draw, for the journey to join his post, travelling allowance as for a journey on transfer.

प्रकरण 3 (यात्रा–भत्ता)

16. सदस्य का यात्रा–भत्ता, प्रथम कोटि के सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले चालू नियमों द्वारा विनियमित होगा : परन्तु—

(i) अध्यक्ष 12 रु० 50 न० पै०* की दर से और अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य 10 रु०* की दर से विराम–भत्ता पाने का हकदार होगा; और

(ii) यदि कोई सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में न हो, तो वह अपने पदग्रहण के निमित्त की गई यात्रा के लिये उतना भत्ता पाने का हकदार होगा, जो बदली होने पर यात्रा के लिये मिलता है।

*Amended vide Notification no. III/PSC 203/60A–10177, dated the 28th July 1961.

*अधिसूचना सं० 3/पी०एस०सी०–203/60–नि०–10177, दिनांक 28 जुलाई 1961 द्वारा संशोधित।

17. Subject to the general condition that the amount of a compensatory allowance should be so regulated that the allowance is not on the whole a source of profit to the recipient the Governor may, subject to any conditions which he sees fit to impose, grant to any Member any compensatory allowance other than travelling allowance and may fix the amount thereof.

प्रकरण 4 (सेवा की अन्य शर्तें)

17. इस सामान्य शर्त्त के अधीन रहते हुए कि क्षतिपूरक–भत्ता इस तरह विनियमित किया जाय कि पाने वाले के लिये यह भत्ता सामान्यतः मुनाफे का जरिया न हो जाय, राज्यपाल यथोचित शर्तें लगाकर किसी सदस्य को यात्रा–भत्ता से भिन्न कोई क्षतिपूरक भत्ता दे सकेंगे और उनकी रकम नियत कर सकेंगे।

*18. The medical facilities admissible to the All India Service officers and their family under A.I. Service (Medical Attendance) Rules, 1954 will be admissible to the Chairman and Member of the B.P.S.C. and their family.

*18. अखिल भारत सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यगण को जो चिकित्सा सुविधा मिलती है, वही सुविधा बिहार लोक–सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यगण को अनुमान्य होगी।

19. The Chairman and Members of the Commission may recess at Ranchi at their own expense for a period not exceeding three months in any calendar year subject to the following conditions :–

(a) that the recess will be continuous; and

(b) that the Chairman and other Members may take one stenographer and two orderly peons each at Government expenses.

19. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी पंचांग–वर्ष में अधिक–से–अधिक तीन महीने तक अपने खर्च पर राँची में विश्राम कर सकेंगे, किन्तु शर्त्त यह होगी कि—

(क) विश्राम लगातार होगा; और

(ख) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य एक–एक आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) और दो–दो आदेशपाल सरकारी खर्च पर अपने साथ ले जा सकेंगे।

20. A Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund in accordance with the rules regulating that fund.

20. सदस्य सामान्य भविष्य–निधि को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार उक्त निधि में अंशदान करने का हकदार होगा।

21. If a residence owned or leased by Government is allotted to a Member, his occupation of the residence shall be subject to the rules which apply to an officer of the I.A.S. provided that if the residence is one specially meant for a Member, the Member shall be liable to pay the standard rent of the residence or rent at the rate equal to 10 percent of his monthly emoluments, whichever is less, irrespective of whether he occupies the residence or not.

*Amended vide Health Department order no. I/MI–9–052/66–2656(1) H, dated 15th May, 1967.

*स्वास्थ्य विभाग के आदेश सं० 1/एम० 1–9–052/66–2656(1) एच० दिनांक 15 मई 1967 द्वारा संशोधित ।

*21A. A house building advance and an advance for purchase of motor car to a Member will be regulated by the appropriate rules in force applicable to the Government servant drawing comparable emoluments.

21. यदि सरकार का अपना या पट्टे पर लिया गया कोई निवास सदस्य को दिया जाय तो निवास पर उसका दखल भा०प्र०से० (आई०ए०एस०) के पदाधिकारी पर लागू नियमों के अनुसार होगा। परन्तु यदि निवास खासकर सदस्य के लिये ही बना हो तो चाहे वह निवास को दखल में रखे या नहीं, उसे इस निवास का मकान किराया या अपनी मासिक उपलब्धियों के 10 प्रतिशत के बराबर किराया, जो भी कम हो, देना होगा।

*21क. सदस्य को मिलनेवाले गृह–निर्माण अग्रिम और मोटरगाड़ी खरीद के लिये अग्रिम, समान उपलब्धियाँ पाने वाले सरकारी सेवकों पर लागू समुचित नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

## PART IV

*Section I (Composition)*

22. The staff of the Comission shall include a Secretary, (b) an Under Secretary, an Assistant Secretary and such other gazetted and non-gazetted staff as the Governor may, from time to time, determine in consultation with the Commission.

## भाग 4

प्रकरण 1 (गठन)

22. आयोग के कर्मचारीवृन्द में एक सचिव, (ब) एक अवर–सचिव, एक सहायक सचिव और ऐसे अन्य राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारी रहेंगे, जैसा राज्यपाल, समय–समय पर, आयोग की सलाह से, निश्चित करें।

*Section 2 (The Secretary and Assistant Secretary)*

*22.(क) बिहार लोक–सेवा आयोग के सचिव के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से किया जायेगा।

23. अन्य सभी राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति (प्रशाखा पदाधिकारी अथवा प्रशाखा पदाधिकारियों की पंक्ति के पदाधिकारियों को छोड़कर) आयोग द्वारा, राज्यपाल के अनुमोदन से किया जायेगा।

24. (1) If at the date of his appointment, the Secretary was in the service of the Government of India or of a State he shall hold office for a period of five years or till he attains the age of 58* years, whichever is earlier :

Provided that the Commission may with the aproval of the Governor, extend his term by successive periods not exceeding five years till he reaches the age of 58* years.

(2) If at the date of his appointment the Secretary was in the service of the Government of India or of a State he shall hold office during the pleasure of the Governor and normally serve till he attains the age of 58* years unless services are terminated earlier for any special reason.

---

*Amended vide Notification no. III/PSC–202/60A-10967, dated 16th August, 1961.

*अधिसूचना संख्या 3/पी०एस०सी०–202/60 नि०–10967, दिनांक 16 अगस्त 1961 द्वारा संशोधित।

*कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. 21010.का०, दिनांक 22 नवम्बर द्वारा संशोधित।

(b) Inserted vide Government of Bihar Appointment Department's Notification no. 14199, dated the 21st August 1970.

*Inserted vide Government of Bihar, Appointment Department's Notification No. G.S.R.-18020, dated 10th October 1971.

*Notification No. 2003 dated the 3rd February 1970.

24. (1) यदि नियुक्ति की तारीख को सचिव भारत–सरकार या किसी राज्य की सेवा में हों, तो वह पाँच वर्षों तक या 58* वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले पड़े, पद धारण करेगा :

परन्तु आयोग राज्यपाल के अनुमोदन से उसकी पदावधि अधिक–से–अधिक पाँच वर्षों की उत्तरोत्तर कालावधियों तक बढ़ा सकेगा, जबतक कि वह 58* वर्षों का न हो जाय।

(2) यदि सचिव नियुक्ति की तारीख को भारत–सरकार या किसी राज्य की सेवा में न हो, तो वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा और जब तक उसकी सेवा किसी विशेष कारण से पहले ही समाप्त न कर दी जाए, सामान्यतः 58* वर्ष की उम्र होने तक सेवा में रहेगा।

25. (1) If at the date of his appointment, the Secretary was in the service of the Government of India or of a State, he shall receive the pay which he would have drawn but for his appointment as Secretary and in addition a special pay of Rs. 150 a month*:

Provided that if a Ministerial officer is appointed to the post of Secretary, his initial pay shall be fixed at the stage in the time-scale of Rs. 500-25-650-E.B.-35-1,000 next above the amount arrived at by adding Rs. 150 to his substantive pay.

(2) If at the date of his appointment, the Secretary was not in the service of the Government of India, or of a State, and is not a retired Government servant he shall draw as initial pay the minimum of the scale of Rs. 350-25-650-E.B.-35-1,000 unless the State Government sanction advance increments under rule 86 of the Bihar Service Code.

(3) If the Secretary is retired Government servant, he shall be allowed to draw the initial pay in the scale of Rs. 350-25-650-E.B.-35-1,000 unless the State Government sanction advance increments provided that the sum total of pay plus pension shall not exceed the substantive pay last drawn by him before retirement.

25.(1) यदि सचिव नियुक्ति की तारीख को भारत–सरकार या किसी राज्य की सेवा में हो, तो वह सचिव नियुक्त न होने पर जो वेतन पाता, वह वेतन और उसके अतिरिक्त 150 रु० प्रतिमास* विशेष वेतन पाएगा :

परन्तु यदि कोई अनुसचिवीय पदाधिकारी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाए, तो उसका आरंभिक वेतन 500–25–650–द०रो०–35–1,000 रु० के कालमान के उस प्रक्रम में नियत किया जायेगा जो उसके मूल वेतन में 150 रु० जोड़ने पर निकलने वाली राशि के ठीक ऊपर हो।

(2) यदि सचिव नियुक्ति की तारीख को, भारत–सरकार या किसी राज्य की सेवा में न हो, और न सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हो, तो जबतक राज्य–सरकार बिहार सेवा संहिता के नियम 86 के अधीन अग्रिम वेतन–वृद्धियाँ मंजूर न करे, उसे 350–25–650–द०रो०–35–1,000 रु० के वेतनमान में न्यूनतम वेतन आरंभिक वेतन के रूप में मिलेगा।

(3) यदि सचिव, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हो, तो जबतक कि राज्य सरकार अग्रिम वेतन–वृद्धियाँ मंजूर न करे, उसे

---

*अधिसूचना संख्या 2005, दिनांक 03 फरवरी, 1970

*Amended notification no., 13927, dates the 6th November 1965.

*अधिसूचना संख्या 13927, दिनांक 06 नवम्बर, 1965 द्वारा संशोधित।

350–25–650–द०रो०–35–1,000 रु० के वेतनमान में आरंभिक वेतन पाने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु वेतन और पेंशन का कुल योग निवृत्ति के पहले उसके द्वारा अंतिम बार लिए गए मूल वेतन से अधिक न होगा।

26. In respect of all other matters, the conditions of service of the Secretary shall be such as are applicable to members of the State services drawing comparable emoluments except that if the Secretary is a member of an All-India Service his conditions of service shall be the same as those of members of that service.

26. अन्य सभी विषयों में, सचिव की सेवा–शर्तें वही होंगी, जो राज्य–सेवा के समान उपलब्धियाँ पाने वाले सदस्यों पर लागू हैं, फर्क सिर्फ इतना होगा कि यदि सचिव किसी अखिल–भारतीय सेवा का सदस्य हो, तो उसकी सेवा की शर्तें वही होंगी, जो उक्त सेवा के सदस्यों के लिये हैं।

27. The post of Assistant Secretary shall be filled either permanently or for a specified period as the Commission may with the approval of the Governor decide.

27. सहायक सचिव का पद या तो स्थायी रूप से या किसी विनिहित अवधि के लिए भरा जाएगा जैसा कि आयोग, राज्यपाल के अनुमोदन से, निश्चित करे।

28. The Assistant Secretary shall receive pay during the tenure of his office in the scale of Rs. 500—20—600.

28. सहायक सचिव अपनी पदावधि में 500–20–600 रु० के वेतनमान में वेतन पाएगा।

29. In respect of all other matters the conditions of service of the Assistant Secretary shall be such as are applicable to officers of the State Government drawing comparable emoluments.

29. अन्य सभी विषयों में, सहायक सचिव की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो राज्य सरकार के समान उपलब्धियाँ पाने वाले पदाधिकारियों पर लागू हैं।

30. In exceptional circumstances, for reasons to be specially recorded, the Commission may with the approval of the Governor, appoint or re-appoint as Secretary or any other officer on the staff of the Commission, a person who has already attained the age of 55 years, but such appointment shall be made for one year at a time, and it shall in no case be extended beyond the date on which the person attains the age of 60 years.

30. आपवादिक परिस्थितियों में, कारणों का विशेष रूप से उल्लेख करके, आयोग राज्यपाल का अनुमोदन लेकर आयोग के सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त या पुनर्नियुक्त कर सकता है जो 55 वर्ष की आयु का हो चुका हो, किन्तु ऐसी नियुक्ति एक बार में केवल एक ही वर्ष के लिये की जाएगी और किसी भी दशा में उस तारीख से आगे नहीं बढ़ायी जाएगी जिस तारीख को वह व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाए।

*Section 3 (Ministerial Officers and inferior servants)*

31. (1) The ministerial officers and inferior servants shall, subject to the control of the Chairman, be appointed by the Secretary.

(2) The scales of pay, rules for recruitment and promotion and other conditions of service of the Ministerial officers and inferior staff of the Commission shall be similar to those prescribed for the corresponding

post in the Bihar Secretariat.

(3) The authority, which may impose any of the penalties prescribed in rule 2 of the Bihar Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules shall be the Secretary and the appellate authority shall be the Chairman.

प्रकरण 3 (अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले सेवक)

31. (1) अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले सेवक, अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सचिव द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।

(2) आयोग के अनुसचिवीय पदाधिकारी और निचले कर्मचारीवृन्द के वेतनमान, भरती और प्रोन्नति के नियम तथा सेवा की अन्य शर्त्तें वही होंगी, जो बिहार सचिवालय में अनुसारी पदों के लिये विहित हैं।

(3) बिहार अवर–सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली [बिहार सबोर्डिनेट सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स] के नियम 2 में विहित दंड देनेवाला प्राधिकारी सचिव होगा और अपीलीय प्राधिकारी अध्यक्ष होगा।

32. In respect of all matters not specifically provided for in these rules the conditions of service of the staff of the Commission will be regulated by the general law or rules framed by the State Government under Article 309 of the Constitution of India for persons appointed to public services in connection with the affairs of the State.

32. ऐसे सभी विषयों में जिनका इन नियमों में खास तौर से उपबंध नहीं है, आयोग के कर्मचारीवृन्द की सेवा की शर्त्तें, राजकाज से संबद्ध लोक–सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के लिये भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन राज्य–सरकार द्वारा बनायी गयी सामान्य विधि या नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

33. If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, the decision of the Governor thereon shall be final.

33. यदि इस नियमावली के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

By order of the Governor of Bihar,
K. A. RAMASUBRAMANIAM,
*Joint Secretary to Government.*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
के० ए० रमासुब्रमनियम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[15]

# THE
# BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION
# (LIMITATION OF FUNCTIONS)
# REGULATIONS, 1957.

# बिहार लोक–सेवा आयोग
## (कार्य–सीमन)

## विनियमावली

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मद्रित
1960

210

**GOVERNMENT OF BIHAR.**

**APPOINTMENT DEPARTMENT.**

---

**NOTIFICATION.**

***17th Asadha, 1879 (S.).***

***Patna, the*----------**

***8th July, 1957.***

No. A-8767.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, and in supersession of the regulations published with notification no. 3968-A., dated the 4th December, 1944, as subsequently amended, the Governor of Bihar is pleased to make the following regulations, namely :—

1. These regulations may be called the Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957.

2. In these regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context—

   (a) "the Constitution" means the Constitution of India;

   (b) "the Commission" means the Public Service Commission for Bihar;

   (c) "Government" means the State Government of Bihar; and

   (d) "High Court" means the High Court of Judicature at Patna.

3. It shall not be necessary to consult the Commission on any of the matters specified in sub-clauses (a) and (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution concerning services and posts to which appointments are made by authorities subordinate to Government, or by the Chief Justice of the High Court :

   Provided that Government may by a Resolution lay down that as regards direct appointment to any of such posts and services the Commission shall be consulted.

4. It shall not be necessary to consult the Commission on any of the matters mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of Article 320 of the Constitution in regard to the following services and posts, namely :—

   (1) Posts in the Governor's Secretariat and the personal staff of the Governor;

   (2) Advocates for the State in the High Court, whether designated as Advocate-General, Government Advocate, Standing Counsel, Government Pleader or otherwise;

बिहार सरकार ।

नियुक्ति विभाग ।

---

अधिसूचना

17 आषाढ़, 1879 (श०)

पटना, तारीख————————

8 जुलाई, 1957

सं० ए०–8767–भारत–संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिसूचना सं० 3968–ए०, तारीख 4 दिसम्बर 1944 के साथ प्रकाशित तथा बाद में यथासंशोधित विनियमावली का अवक्रमण करते हुए, बिहार राज्यपाल निम्न विनियमावली बनाते हैं:—

1. यह विनियमावली बिहार लोक–सेवा आयोग (कार्य–सीमन) विनियमावली [बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स], 1957 कहलायेगी।

2. इस विनियमावली में, जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो—

(क) "संविधान" से तात्पर्य है भारत–संविधान;

(ख) "आयोग" से तात्पर्य है लोक–सेवा–आयोग, बिहार;

(ग) "सरकार" से तात्पर्य है राज्य–सरकार, बिहार; और

(घ) "उच्च–न्यायालय" से तात्पर्य है पटना उच्च–न्यायालय।

3. जिन सेवाओं में और पदों पर सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारी या उच्च–न्यायालय के मुख्य–न्यायाधिपति नियुक्त करते हैं, उनसे सम्बद्ध भारत–संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के (क) और (ख) उप–खंडों में उल्लिखित किसी भी विषय पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :

परन्तु सरकार प्रस्ताव द्वारा विनिहित कर सकेगी कि ऐसे किन्हीं पदों पर और सेवाओं में सीधी नियुक्ति के बारे में आयोग से परामर्श किया जाएगा।

4. निम्न सेवाओं और पदों के बारे में भारत संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के (क), (ख) और (ग) उप–खंडों में उल्लिखित किसी विषय पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :—

(1) राज्यपाल–सचिवालय में के पद और राज्यपाल के निजी कर्मचारीवृन्द;

(2) उच्च–न्यायालय में राज्य–सरकार के अधिवक्ता (एडवोकेट), चाहे उनका पदनाम महाधिवक्ता (एडवोकेट–जेनरल), सरकारी अधिवक्ता, स्थायी सलाहकार (स्टैंडिग काउन्सेल), सरकारी वकील या और कुछ हो;

(3) Public Prosecutors and Government Pleaders, and Assistant Public Prosecutors and Assistant Government Pleaders;

(4) Law Reporters and Assistant Law Reporters;

(5) Personal Assistant or Private Secretary or Stenographer to a Minister, if on a temporary basis;

(6) Personal Assistant, Private Secretary or Stenographer to the Chairman of the Bihar Legislative Council or to the Speaker of the Bihar Legislative Assembly, if on a temporary basis.

5. It shall not be necessary to consult the Commission in regard to any claim of the nature specified in sub-clause (d) of clause (3) of Article 320 of the Constitution, if the claim is made by the persons concerned before the termination of the legal proceedings to which it relates and Government, on the matter being first brought to its notice, decides to pay the cost of his defence.

6. In regard to services and posts to which appointments are made directly by Government, it shall not be necessary to consult the Commission on any of the following matters, namely:—

(1) the creation and organisation of services and posts and their designations;

(2) the classification of services and posts;

(3) the general methods of recruitment to a service or post including the question whether recruitment should be made solely by (i) examination or (ii) selection or (iii) promotion or transfer, or partly by one of these methods and partly by another; and in the latter case, the proportion in which recruitment to any particular service should be made by each method and the relative seniority in the service of candidates recruited by different methods;

(4) the determination of the number of vacancies to be filled in a service in any particular year;

(5) the determination of the strength of the cadres of different services;

(6) the question whether recruitment of candidates for particular posts should be made in India or from abroad;

(7) the determination of the salary of Government servants on their first appointment and of officiating incumbents of posts;

(3) लोक–अभियोजक (पब्लिक प्रॉजिक्यूटर) और सरकारी वकील तथा सहायक लोक–अभियोजक और सहायक सरकारी वकील;

(4) विधि–प्रतिवेदक (लॉ रिपोर्टर) और सहायक विधि–प्रतिवेदक;

(5) किसी मंत्री का निजी–सहायक, आप्त सचिव या आशुलिपिक, यदि अस्थायी हो;

(6) बिहार विधान–परिषद के सभापति या बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निजी–सहायक, आप्त–सचिव या आशुलिपिक, यदि अस्थायी हो।

5. भारत–संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप–खंड (घ) में उल्लिखित ढंग के किसी दावे के बारे में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, यदि सम्बद्ध व्यक्ति दावे का संबंध जिस वैध कार्यवाही से हो, उसकी समाप्ति के पहले दावा करे और सरकार इस विषय के पहले पहल दृष्टि में लाए जाने पर, उस व्यक्ति की सफाई का खर्च देने का निश्चय करे।

6. जिन सेवाओं में और पदों पर सीधे सरकार नियुक्ति करती है, उनके संबंध में निम्न किसी भी विषय पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा:—

(1) सेवाओं और पदों का सृजन और संघटन तथा उनके नाम;

(2) सेवाओं और पदों का वर्गीकरण;

(3) किसी सेवा में या पद पर भरती की सामान्य रीतियाँ, जिनमें यह प्रश्न भी सम्मिलित है कि भरती केवल (i) परीक्षा या (ii) चुनाव या (iii) प्रोन्नति अथवा बदली द्वारा अथवा अंशतः इन रीतियों में से किसी एक रीति से और अंशतः किसी दूसरी रीति से की जाए, तथा पिछली दशा में, हर रीति से किसी खास सेवा में की जानेवाली भरती का अनुपात और विभिन्न रीतियों से भरती किए गए उम्मीदवारों की सेवा में पारस्परिक वरीयता;

(4) किसी खास वर्ष में किसी सेवा में भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण;

(5) विभिन्न सेवाओं के संवर्गों (काडरों) की पदाधिकारी–संख्या का निर्धारण;

(6) यह प्रश्न कि खास पदों के लिए उम्मीदवारों की भरती भारत में या विदेश से की जाए;

(7) प्रथम नियुक्ति पर सरकारी सेवकों के और स्थानापन्न पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण;

(8) the determination of the initial salary of officers recruited by promotion;

(9) transfers of Government servants to foreign service;

(10) the probation and training of Government servants and the conditions of their confirmation in service;

(11) appointment to posts where it has been decided by the State Government that recruitment shall be made from abroad;

(12) the re-employment of retired Government servants to posts borne on the cadre of the same service to which they belonged before their retirement or to posts in other Departments, requiring the same qualifications and involving responsibilities of the like importance.

7. When apppintment to a service or a post is made by promotion or transfer from another service, it shall not be necessary to consult the Commission unless it is proposed, by such promotion or transfer, to fill—

(a) a permanent post substantively, or

(b) a permanent post or a temporary post on an officiating or temporary basis for a period exceeding six months :

Provided that, if an appointment is made for a period not exceeding six months, and it is subsequently proposed to extend the period so that it will exceed six months in all, the Commission shall be consulted.

8. When appointment to a service or a post is made otherwise than by promotion or transfer from another service, it shall not be necessary to consult the Commission if the appointment is not expected to continue for more than six months and cannot be delayed without detriment to the public interest :

Provided that, if it is proposed to retain the person so appointed in the same post for a period exceeding six months or to appoint him to another post in the service of Government, the Commission shall be consulted.

9. Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations it shall not be necessary to consult the Commission when a member of a Senior or Junior Branch of a State Service is appointed to hold a post in the State Secretariat or in any office attached to the Secretariat.

(8) प्रोन्नति द्वारा भरती किए गए पदाधिकारियों के आरम्भिक वेतन का निर्धारण;

(9) बाह्य–सेवा में सरकारी सेवकों की बदली;

(10) सरकारी सेवकों की परीक्ष्यमाणता और प्रशिक्षण तथा सेवा में उनकी संपुष्टि की शर्त्त;

(11) उन पदों पर नियुक्ति, जिनके संबंध में राज्य सरकार ने निश्चय किया हो कि भरती विदेश से की जाएगी;

(12) निवृत्त सरकारी सेवकों का, जिस सेवा में वे निवृत्ति के पहले थे, उसी सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर अथवा अन्य विभागों के ऐसे पदों पर, जिनके लिए समान योग्यताएँ अपेक्षित हों तथा जिनके उत्तरदायित्व समान महत्व के हों, पुनर्नियोजन ।

7. यदि किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति किसी दूसरी सेवा से प्रोन्नति या बदली द्वारा की जाए, तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जबतक कि ऐसी प्रोन्नति या बदली से—

(क) किसी स्थायी पद को मौलिक रूप से, अथवा

(ख) किसी स्थायी या अस्थायी पद को छः महीने से अधिक के लिए स्थानापन्न या अस्थायी तौर पर, भरने का विचार न हो :

परन्तु, यदि कोई नियुक्ति छः महीने से अनधिक कालावधि के लिए की जाए तथा उसे बाद में और बढ़ाने का विचार हो, जिससे कि कुल कालावधि छः महीने से अधिक हो जाए, तो आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

8. जब किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति किसी दूसरी सेवा से प्रोन्नति या बदली द्वारा नहीं बल्कि भिन्न रीति से की जाए, तब आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, यदि नियुक्ति के छः महीने से अधिक बने रहने की आशा न हो और लोक–हित को हानि पहुँचाए बिना नियुक्ति में विलम्ब नहीं किया जा सकता :

परन्तु, यदि इस तरह नियुक्त व्यक्ति को उसी पद पर छः महीने से अधिक रखे रहने या सरकार की सेवा में किसी दूसरे पद पर नियुक्त करने का विचार हो, तो आयोग से परामर्श किया जाएगा।

9. इस विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि किसी राज्य सेवा की वरीय या कनीय शाखा का कोई सदस्य राज्य–सचिवालय में या सचिवालय से संलग्न किसी कार्यालय में कोई पद धारण करने के लिए नियुक्त किया जाए, तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

10. It shall not be necessary to consult the Commission in any case relating to—

(a) the reversion to his permanent post of an officer officiating in a higher post, or

(b) the termination of the employment of any officer in accordance with the terms of a contract of employment.

11.(1) It shall not be necessary for any authority subordinate to Government or for the Chief Justice of the High Court to consult the Commission before passing any order in disciplinary cases.

(2) In cases where an appeal lies to Government against an order in disciplinary cases it shall not be necessary for Government to consult the Commission, unless either—

(a) the order against which the appeal lies is one of reduction in rank, removal or dismissal, or

(b) Government on a consideration of the case, proposes to substitute an order of reduction in rank, removal or dismissal for a less severe penalty.

(3) When exercising revisionary functions in disciplinary cases in which no regular appeal lies to Government it shall not be necessary for Government to consult the Commission unless Government proposes either—

(a) to set aside or modify an order of reduction in rank, removal or dismissal, or

(b) to substitute an order of reduction in rank, removal or dismissal for a less severe penalty.

(4) Nothing in clause (2) or (3) shall apply to disciplinary cases coming up before Government either by way of appeal or revision, where such disciplinary cases relate to Government servants who are members of the inferior service within the meaning of rule 24 of the Bihar Service Code.

12. In disciplinary cases it shall not be necessary to consult the Commission before passing any order—

(a) drawing up or directing the drawing up of proceedings against any Government servant with a view to disciplinary action.

10. निम्न विषयों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :—

(क) किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से काम करनेवाले पदाधिकारी का अपने स्थायी पद पर प्रतिवर्त्तन, या

(ख) नियोजन–संविदा की शर्त्तों के अनुसार किसी पदाधिकारी के नियोजन की समाप्ति ।

11. (1) अनुशासन संबंधी मामलों में कोई आदेश देने के पहले सरकार के किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी या उच्च–न्यायालय के मुख्य–न्यायाधिपति के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(2) जिन अनुशासन संबंधी मामलों में किसी आदेश के विरुद्ध सरकार के यहाँ अपील होती हो, उनके संबंध में सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जबतक कि—

(क) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, वह विच्युति, हटाए जाने या बर्खास्तगी का न हो, अथवा

(ख) सरकार, मामले पर विचार करने के बाद विच्युति, हटाए जाने या बर्खास्तगी के बदले अपेक्षाकृत हल्के दंड का आदेश देने का प्रस्ताव न करे।

(3) जिन अनुशासन संबंधी मामलों में सरकार के यहाँ नियमित अपील नहीं होती उनमें पुनरीक्षण–कार्य करते समय सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जबतक कि सरकार का यह प्रस्ताव न हो कि—

(क) विच्युति, हटाये जाने या बर्खास्तगी के आदेश को रद्द या रूपभेदित कर दिया जाय, अथवा

(ख) विच्युति, हटाये जाने या बर्खास्तगी के बदले अपेक्षाकृत हल्के दंड का आदेश दिया जाय।

(4) खंड (2) या (3) की कोई बात सरकार के सामने अपील या पुनरीक्षण के रूप में आने वाले अनुशासन संबंधी मामलों पर लागू न होगी, जहाँ ऐसे (अनुशासन संबंधी) मामले उन सरकारी सेवकों के विषय में हो जो बिहार सेवा संहिता के नियम 24 के अर्थ में निचली सेवा के सदस्य हैं।

12. अनुशासन संबंधी मामलों में, निम्न–विषयक आदेश देने के पहले आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा—

(क) अनुशासनात्मक कार्रवाई की दृष्टि से किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यवाही चलाना या चलाने का निर्देश देना;

(b) of censure or of suspension when a Government servant is to be suspended pending the investigation of charges against him; or

(c) withholding increments or promotion, including stoppage at an efficiency bar.

13. In discipplinary cases where consultation with the Commission is required, it shall not be necessary to consult the Commission at any state of the proceedings until the case is ready for final decision.

14. It shall not be necessary to consult the Commission in any case in which the Commission has at any previous stage given advice as to the orders to be passed and no fresh question has thereafter arisen for determination.

15. It shall not be necessary to consult the Commission in any case falling under proviso (c) to clause (2) of Article 311 of the Constitution.

By order of the Governor of Bihar,

M. S. RAO,

Chief Secretary to Government

(ख) निन्दन या मुअत्तल करना, जबकि सरकारी सेवक, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच होने तक मुअत्तल किया जानेवाला हो; अथवा

(ग) दक्षता–रोक पर रोध के सहित वेतन–वृद्धि या प्रोन्नति रोक रखना।

13. जिन अनुशासन संबंधी मामलों में आयोग से परामर्श अपेक्षित हो, वहाँ, जबतक मामला अन्तिम निर्णय के लिए तैयार न हो जाए, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

14. किसी ऐसे मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जहाँ आयोग किसी पूर्व प्रक्रम में, दिए जानेवाले आदेश के बारे में अपनी सलाह दे चुका हो और उसके बाद कोई नया निर्धारणीय प्रश्न न उठा हो।

15. संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के परन्तुक (ग) के अधीन आनेवाले किसी मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से

मै०सु० राव

मुख्य सचिव, बिहार सरकार।

MEMO. No. A-8767

17th Asadha 1879 (S.)

Patna, the_____

8th July 1957.

Copy forwarded to all Departments of Government/all Heads of Departments/Secretary, Public Service Commission, Bihar, for information.

By order of the Governor of Bihar,

U. VAIDYANATHAN,

Additional Under-Secretary to Government.